रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122022-241017 CG-DL-E-13122022-241017

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5543]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 12, 2022/अग्रहायण 21, 1944

No. 5543]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 12, 2022/AGRAHAYANA 21, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5779(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1957 (अ) दिनांक 16.05.2018 भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (ii) दिनांक 17.05.2018 में प्रकाशित अर्थात:-उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रमांक 2 के समक्ष: कालम 6 में "तालुक काटपाडी" के स्थान पर "तालुका के.वी. कुप्पम" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

फुट नोट : मूल अधिसूचना का.आ. 16.05.2018 भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II , खंड -३, उपखण्ड (ii) दिनांक 17.05.2022 में प्रकाशित।

तालुक का नाम में परिवर्तन

[फा. सं. RW-MD/TN/LA/VG/1/2018]

राजेश गुप्ता, निदेशक

8245 GI/2022 (1)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th December, 2022

S.O. 5779(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in notification of the government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1957(E) dated 16.05.2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (II),17.05.2018 namely:—

In the schedule to the said notification, against serial no. 2 in column 6 for the entry "Taluk Katpadi" the entry "Taluk K.V. Kuppam" shall be substituted.

Change in Taluk name

[F. No. RW-MD/TN/LA/VG/1/2018]
RAJESH GUPTA, Director